न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा [illegible] - 38/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-7-21	[illegible] Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में सूचित पत्रावलियों में [illegible] पेशी दे पर पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-8-21 को पेश हो।	
17-8-21	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान [illegible] उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में [illegible]/मीटिंग में है। पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 23-8-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
24-8-21	दिनांक 23-8-2021 को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० [illegible] में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस व उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 LR एक्ट को स्वीकार किया जाकर है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सम्बंधित मिसल रहे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर निर्णय आदेशानुसार [illegible] अमल की कार्यवाही करें। [illegible] होकर बाद तकमील [illegible] को Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.08.31 12:38:06 IST Reason: SelfAttested 24/08/21 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38/2018	2018/223	01.08.2018	24.08.2021

उनवान प्रकरण

भागीरथ पुत्र रिछपाल उम्र 75 वर्ष जाति मीणा निवासी कादिया की ढ़ाणी तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित वर्किंग खसरा नंबर 119, 120, 121, 122 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 हैक्टर के 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के नाम व 1/3 हिस्सा की खातेदारी सुन्दरलाल पुत्र रिछपाल मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें मौके पर प्रार्थी अपनी हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि 119, 120 एवं 122 के पश्चिमी भाग पर काबिज चला आ रहा है। खसरा नंबर 119, 120, 121, 122 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 हैक्टर के पुराने खसरा नंबर 114 का पुराना राजस्व नक्शा ट्रेस [illegible] कब्जा काश्त अनुसार सही दर्शित था परन्तु उक्त भूमि के नये राजस्व नक्शा ट्रेस को [illegible] की गफलत व लापरवाही से गलत दर्शित कर दिया गया। जिसे पुराने राजस्व नक्शा व नये नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर भी स्पष्ट रूप से साबित होता है। जिसकी शुद्धि हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Page 1 of 1

24/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 7005 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 6.2.2019 को हाजिर होकर जवाब हेतु समय चाहा गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2437/भू.अ./2021 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि **"ग्राम जुगलपुरा के खसरा नंबर 119 से 122 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 114 की जॉच नये व पुरानी शीट से मिलान किये जाने पर दक्षिणी पश्चिमी कोना में पुराने नक्शे के मुताबिक नये नक्शे में अन्तर प्रतीत होना तथा नये नक्शे में कम कर दिया गया जबकि रकबे में कोई अन्तर नहीं होना बताया।**

मौका अनुसार जांच करने पर यह पाया गया कि संलग्न नक्शे में दक्षिणी सीमा को 6 मीटर पश्चिम की ओर बढ़ाये जाने तथा उसे बिन्दू ए ओर बी से दर्शाया जाना तथा बिन्दम बी से लेकर सी तक 26 मीटर तक तथा बिन्दू सी से डी तक 16 मीटर बढ़ाये जाने तथा उक्त परिवर्तन होने से वादी की भूमि के कुल रकबा में कोई कमी/वृद्धि नहीं होना व भूमि की बढ़ोतरी खसरा नम्बर 197 गै.मु. रास्ते की आकृत्ति में से कम होने तथा इससे खसरा नम्बर 197 के रक्बे में कोई कमी/वृद्धि नहीं होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दू संख्या ए, बी, सी, डी के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 114 जिसके नये खसरा नम्बर 119 से 122 की आकृति में संशोधन किये जाने हेतु नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से शुद्धि प्रस्तावित की गई है, जिसे लाल डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है। पटवारी हल्का सांवलपुरा तवंरान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रकरण अन्तर्गत सरकार जॉच रिपोर्ट शामिल मिसल किया गया।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि **राजस्व ग्राम जुगलपुरा के खसरा नंबर 119 से 122 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 114 की जॉच नये व पुरानी शीट से मिलान किये जाने पर दक्षिणी पश्चिमी कोना में पुराने नक्शे के मुताबिक नये नक्शे में अन्तर प्रतीत होना तथा नये नक्शे में कम होना तथा रकबे में कोई अन्तर नहीं होना** दर्ज किया गया, जिसमें शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—ः क्रियात्मक आदेश ः—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नंबर 119 से 122 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 114 की जॉच नये व पुरानी शीट से मिलान किये जाने पर दक्षिणी पश्चिमी कोना में पुराने नक्शे के मुताबिक नये नक्शे में अन्तर प्रतीत होना तथा नये नक्शे में कम कर दिया जाना जबकि रकबे में कोई अन्तर नहीं होना दर्शाया गया। मौका स्थिति की जांच तहसीलदार श्रीमाधोपुर से करवाई गई, जिसमें मौके पर उपरोक्त खसरा नंबरान की दक्षिणी पश्चिमी कोना में पुराने नक्शे के मुताबिक नये नक्शे में अन्तर प्रतीत होना तथा नये नक्शे में कम कर दिया जाना जबकि रकबे में कोई अन्तर नहीं होना दर्शाया गया है। अतः इस संबंध में पटवारी हल्का सांवलपुरा तवंरान द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दू संख्या ए, बी, सी, डी के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 114 जिसके नये खसरा नम्बर 119 से 122 की आकृति में संशोधन किये जाने हेतु नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से शुद्धि प्रस्तावित की गई है, जिसे लाल डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/08/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested